झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

नौवीं एवं ग्यारहवीं (इंटर प्रथम वर्ष) कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2018 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 18/2018

एतद् द्वारा नौवीं एवं ग्यारहवीं (इंटर प्रथम वर्ष) कक्षा के छात्र-छात्राओं अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि नौवीं एवं ग्यारहवीं (इंटर प्रथम वर्ष) कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2018 के लिए प्रश्न पत्र एवं सादी उत्तरपुस्तिका झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आपूर्ति की जाएगी। परीक्षा संचालन का दायित्व विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान का होगा। परिषद् द्वारा माँग पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in या www.jac.nic.in पर अपलोड किया गया है। प्रश्न पत्र आपूर्ति के लिए उक्त माँग पत्र प्रपत्र को डाउनलोड कर निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। उक्त के लिए निर्धारित शुल्क(नवम् के लिए 60/- रूपये प्रति परीक्षार्थी एवं ग्यारहवीं के लिए 90/- रूपये प्रति परीक्षार्थी) वेबसाइट से चालान प्राप्त कर बैंक में जमा करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि प्राप्त माँग पत्र में छात्र/छात्राओं की संख्या का मिलान विद्यालय/महाविद्यालय के लिए अनुमोदित सीट एवं नामांकन पंजी से अवश्य कर लेंगे तथा माँग पत्र के साथ नामांकन पंजी की छायाप्रति अवश्य प्राप्त करेंगे ताकि पंजीयन के समय उक्त छात्रों का मिलान कराया जा सके।

नवम् कक्षा के लिए

(क) निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों का मांग पत्र नियमित छात्र/छात्रा के लिए नवम् वर्ग की परीक्षा हेतु स्वीकार किया जाएगा:-

(1)	राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय।	(6)	कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय।
(2)	सरकार द्वारा स्थापित 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय	(7)	प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय।
(3)	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।	(8)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (अनुदानित)।
(4)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984-85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।	(9)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (गैर अनुदानित)।
(5)	सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय।	(10)	केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय।

(ख) निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों का मांग पत्र स्वतंत्र छात्र/छात्रा के लिए नवम वर्ग की परीक्षा हेतु स्वीकार किया जाएगा:-

(1)	राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय।	(4)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984-85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
(2)	सरकार द्वारा स्थापित 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय	(5)	प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय।
(3)	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।	(6)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (अनुदानित)।

ग्यारहवीं कक्षा के लिए

निम्नलिखित कोटि के महाविद्यालय/+2 विद्यालय का मांग पत्र नियमित छात्र/छात्रा के लिए ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा हेतु स्वीकार किया जाएगा:-

(1)	अंगीभूत महाविद्यालय	(5)	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय
(2)	सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय	(6)	मॉडल विद्यालय
(3)	प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय	(7)	स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्त इंटर महाविद्यालय (सत्र 2017-19)
(4)	राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालय		

माँग पत्र जमा करने संबंधी कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	तिथि
(1)	परिषद् के वेबसाइट से माँग पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 15.03.2018
(2)	प्रपत्र एवं नामांकन पंजी की छायाप्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि	दिनांक 15.03.2018 से 17.03.2018 तक
(3)	जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से उक्त प्रपत्र को परिषद् कार्यालय में प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि	दिनांक 21.03.2018
(4)	प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका के आपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क के लिए वेबसाइट से चालान प्राप्ति की तिथि	दिनांक 25.03.2018 से 27.03.2018 तक
(5)	चालान के माध्यम से शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि	दिनांक 25.03.2018 से 28.03.2018 तक
(6)	जमा माँग पत्र से संबंधित विवरणी वेबसाइट से प्राप्त करने की तिथि	बैंक में शुल्क जमा करने के 24 घंटे के पश्चात्।

* परीक्षा कार्यक्रम एवं प्रश्न पत्र तथा सादी उत्तरपुस्तिका वितरण की तिथि बाद में प्रकाशित की जायेगी।

नोट:- 1) प्रश्न पत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिका की आपूर्ति हेतु मांग पत्र में विषयवार अध्ययनरत् विद्यार्थी की संख्या, जो नवम/ग्यारहवीं वर्ग में नामांकित है, भरी जाएगी। 2) जिन विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा परिषद् स्तर से आपूरित प्रश्न पत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिका के आधार पर वर्ग नौवीं/ग्यारहवीं की परीक्षा नहीं ली जायेगी, वैसे विद्यालय के छात्र/छात्राओं की वार्षिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में आयोजित करने का दायित्व परिषद् की नहीं होगी और इसके लिये सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रावार्य जिम्मेवार होंगे। 3) निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में कोई माँग पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (रजनीकांत वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा./7648/10/SECY/124/18
Dt. 14.03.2018
D.O.P : 15.03.2018

8X26